

भारत के असाधारण राजपत्र भाग ।। छप्पन(1) में प्रकाशनश्व
संख्या 10/29/74- अ०भा०स०(11)

भारत सरकार

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

वार्षिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जुलाई, 1975

अधिसूचना

=====

साठका०नि०~~३०~~ भारतीय प्रशासन सेवा(वैतन) नियम, 1954 के नियम
।। के साथ पठित, घंगिल भारतीय सेवार्थ अधिनियम, 1951(1951 का०६।)
को धारा ३ को उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वैद्योय
सरकार कैरल सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा(वैतन) नियम, 1954
में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं ।
अर्थातः—

१. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा(वैतन) तैरहवाँ
संशोधन नियम 1975 है ।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने को तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
२. भारतीय प्रशासन सेवा(वैतन) नियम, 1954 के साथ संलग्न दानुषु चौ-।।।
में "क- राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में समय वैतनमान से
अधिक वैतनवाले पद" शब्दको जधोन "कैरल" के सामने कालम दी तथा
तोन में,

"प्रथम उदस्य, राजस्व बोर्ड" रु 2750/- "

प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों प्रतिस्थापित को जारीगो, अर्थातः—

"प्रथम उदस्य, राजस्व बोर्ड" रु 3000/- "

} ।।,
(रु ०.५०गुणा)

उप सचिव, भारत सरकार ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिट्टी रोड, नई दिल्ली ।